न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी.ए./2003/4145/भरतपुर.

1- इसरायल पुत्र सुबुद्धि,
2- मम्मन पुत्र धोताली,
3- लल्लू पुत्र धोताली,
4- सुगड़सिंह पुत्र धोताली,
5- आसीन पुत्र मोहम्मद,
समस्त जाति मेव निवासीगण अकाता तहसील कामां जिला भरतपुर (राज0)

......अपीलार्थी/वादीगण

बनाम

1- रसिया,
2- नसरू,
3- दुल्ला समस्त पिसरान मुनीर।
4- हमीदा,
5- फजरा,
6- आसू समस्त पुत्रगण जोरमल।
7- रेसमी,
8- अमरबी,
9- सुवानी,
10- आसिया
11- काली,
12- नूरजहां पुत्रियां सबुद्धि।
13- इलियास पुत्र जोधसिंह।
समस्त जाति मेव निवासी अकाता तहसील कामां जिला भरतपुर।
14- उप रजिस्ट्रार, कामां जिला भरतपुर (राज0)

......प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

खण्ड-पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री केसर लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितिः
श्री जे.के. पारिक, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री गौरव दवे, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः- 11/12/2025.

1- हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-225 *(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा)* के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या-731/90 (149/97) उनवान रसिया वगैरह बनाम सुबुद्धी वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 06-08-2003 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई है।

2- हस्तगत अपील ज्ञापन के अनुसार इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थीगण ने प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा-88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां जिला भरतपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम धिलावटी स्थित विवादित भूमि खसरान संख्या 342/2-9, 437/1-10, 1208/0-15, 1209/0-18, 1210/0-7 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि मनबटौती में वादीगण के हिस्से में है जिन पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर संवत 2000 से पूर्व से हाल तक काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर वादीगण द्वारा काश्त की जा रही है, लेकिन आज तक वादीगण के नाम शिकमी काश्त ही दर्ज है एवं केवल 1/4 हिस्से की खातेदारी ही बदस्तूर चली आ रही है, जबकि वादीगण अपनी मनबटौती में आये हिस्से पर अकेले खातेदार होने चाहिये। प्रतिवादीगण का नाम विधि विरूद्ध तरीके से 3/4 हिस्से पर खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है, जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है एवं ना ही प्रतिवादीगण ने कभी काश्त की है। अतएव प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाये।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 से 6 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी संख्या-7 के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 29-04-1988 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य लेने के उपरांत एवं उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनकर दिनांक 26-10-1990 को वादीगण का वादपत्र डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26-10-1990 के विरूद्ध प्रत्यर्थी रसिया वगैरह द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील अंतर्गत धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किये जाने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06-08-2003 से अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः कतिपय निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण वादीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3- उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय कानून व सिद्धांतों से परे होकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय ने बिना किसी आधार एवं बिना प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा विवादित भूमि में मानकर जो निर्णय प्रदान किया है, वह पूर्णतया अवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि विवादित भूमि में प्रत्यर्थी संख्या–1 से 6 का 1/4 हिस्सा नहीं है और न ही उनका कोई हक व अधिकार था। विवादित भूमि में अपीलार्थी वादीगण का 3/4 हिस्सा है तथा विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों व सिद्धांतों के तहत खातेदारी घोषणा की डिक्री अपीलार्थीगण के पक्ष में पारित की गई तथा खसरा संख्या 342, 347, 1208 से 12010 पर अपीलार्थीगण के पिता धोताली का नाम अंकित होकर इनकी काश्त अंकित थी तथा खसरा संख्या 342 पर अकेले धोताली का नाम दर्ज था तथा खसरा संख्या 342, 437, 1208 से 1210 पर अपीलार्थीगण का नाम दर्ज था, इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में 3/4 हिस्से की डिक्री पारित की थी जो पूर्णतया सही व कानूनी प्रावधानों के तहत थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र कयासों के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना ही आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–41 नियम–31 के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने सुबुद्धी के वारिस इसरा को तलब नहीं किया एवं ना ही सुगड़सिंह को कोई नोटिस प्रदान किया तथा मोहम्मद के वारिसान रिकार्ड पर आ गये थे, इसके उपरांत भी जो विवादित निर्णय प्रदान किया है वह पूर्णतया अवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अंत में प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–08–2003 को अपास्त करने व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–1990 की पुष्टि किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सीपीसी के आदेश–14 नियम–6(1) की प्रति व 2023 (1) आरआरटी 88, भागचन्द वगैरह बनाम शांति वगैरह न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

4– इसका विरोध में अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का कथन रहा है कि जमाबंदी संवत् 2039–42 में विवादित भूमि सुबुद्धी व मम्मन व मोहम्मद व लल्लू व सुगड़सिंह पि0 धोताली बहिस्सा बराबर चौथाई, इलियास पुत्र जोधसिंह चौथाई, बन्नी व जर्सी पि0 काना बहिस्सा बराबर चौथाई कौम मेव नि. अकाता खातेदार व काश्त सुबुद्धी व मम्मन व मोहम्मद व लल्लू व सुगड़सिंह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। वादी अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया, जबकि प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि के सह खातेदार है तथा सह खातेदारी के मामलों में एडवर्स पजेशन के आधार पर कृषि भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में संवत् 2012 के समय की कोई जमाबंदी पेश नहीं की है। अपीलार्थीगण द्वारा समस्त सह खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा कुछ को पाकिस्तान जाना बताया है। अपीलार्थीगण द्वारा संवत् 2039–42 की जमाबंदी पेश की है तथा संवत् 2020–23 की खसरा गिरदावरी पेश की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा– 19(1)(एए) के तहत् खसरा गिरदावरी के

आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। आगे यह भी कथन किया है कि रहमति को सुनवाई हेतु कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया, जबकि रहमति रेकार्डेड काश्तकार थी एवं ना ही प्रत्यर्थीगण को सुनवाई को अपना पक्ष रखने हेतु उचित अवसर प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीवार नहीं होकर, केवल मात्र अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्यों के आधार पर पारित निर्णय है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में ही पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं होने से हस्तगत द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया गया। हमारे समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य बिन्दु विचारणीय है कि :–

''आया विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–1990 पारित करने में एवं इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वर्तमान प्रत्यर्थीगण रसिया वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है अथवा नहीं ?''

6– इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा–88, 89 व 188 के तहत् पेश कर यह अभिवर्णित किया है कि ग्राम धिलावटी स्थित भूमि खसरा संख्या 342, 350, 392, 407, 434, 337, 1207 से 1210, 1212, 1216 से 1221 कुल किता 17 वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग भूरे खां की खातेदारी काश्तकारी भूमि है। वादपत्र के पद संख्या–04 में स्व0 भूरे खां का सजरा भी अंकित है, जिसके अनुसार इनकी संतानों में धोताली, भोवला, मुनीर व माना है। अपीलार्थी वादीगण धोताली की संताने है, जिनके द्वारा उक्त खसरान भूमि में से खसरा संख्या 342, 437, 1208, 1209 व 1210 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि मनबटौती में उनके हिस्से में आने व संवत् 2000 के पूर्व से उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने व वादीगण का बतौर शिकमी काश्त दर्ज होना वादपत्र में अभिवर्णित किया है। विवादित भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा शेष 3/4 हिस्सा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबंदी, वादपत्र एवं गवाहों के मुख्य परीक्षण के कथनों से भी होती है। अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा मूल वाद मृतक मुनीर के वारिसान रसिया, नसरू, दुल्ला, हमीदा, फजरा व आसू एवं मृतक जोधसिंह के पुत्र इलियास के विरूद्ध पेश किया गया है तथा अपीलार्थी वादीगण द्वारा माना के वारिसान बन्नी व जर्री के पाकिस्तान चले जाना अभिकथित करते हुए इन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रत्यर्थीगण प्रतिवादी संख्या–1 से 6 को जवाब दावे हेतु कई

अवसर प्रदान किये गये, किन्तु इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 30-03-1989 को जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या-7 इलियास जो उक्त अपील में बतौर प्रत्यर्थी संख्या-13 संयोजित है तथा विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का सह खातेदार है, के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि होकर वादीगण व प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेख में बतौर सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलार्थी वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2039-42 व खसरा गिरदावरी संवत् 2020-23 पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में गवाह वादी मम्मन बतौर पी.ड. 1, गवाह आसू बतौर पी.ड. 2 व गवाह जयमल बतौर पी.ड. 3 के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर इन्हें प्रति परीक्षित करवाया गया है। इसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा भी गवाह डी.ड. 1 हमीदा, गवाह डी.ड. 2 लाल खां, गवाह डी.ड. 3 रिसाल व गवाह डी.ड. 4 ईशाक की मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध कर परीक्षित करवाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा जवाबदावा पेश नहीं होने के फलस्वरूप प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-14 नियम-1 के उपनियम-(6) के अनुसार जवाबदावा पेश नहीं होने की स्थिति में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है एवं इसके अतिरिक्त 2023 (1) आरआरटी 88 में भी यह अवधारित किया है कि जब जवाबदावा रेकार्ड पर नहीं है तो विवाद्यक विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि वादीगण को अपने वादपत्र को पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराया जाना आज्ञापक है। चूंकि वादीगण का वाद विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा से संबंधित होकर अपने सह खातेदारों के विरूद्ध पेश हुआ है तथा अपीलार्थी वादीगण विवादित भूमि पर संवत् 2020 से शिकमी काश्तकार होने के आधार पर शेष 3/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया। इस संबंध में जमाबंदी संवत् 2039-42 का अवलोकन किया जाये तो विवादित भूमि खसरा संख्या 342, 437, 1208, 1209 व 1210 सुबुद्धी व मम्मन व मोहम्मद व लल्लू व सुगड़सिंह पिसरान धौताली बहिस्सा बराबर *चौथाई,* मुनीर पुत्र भूरेखां *चौथाई,* इलयास पुत्र जोधसिंह *चौथाई,* बन्नी व जर्री पिसरान माना बहिस्सा बराबर *चौथाई* कौम मेव सा0 अकाता खातेदार व काश्त सुबुद्धी व मम्मन व मोहम्मद व लल्लू व सुगड़सिंह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। इसके अलावा खसरा गिरदावरी संवत् 2020-23 के अनुसार खसरा संख्या 342 के कॉलम संख्या 6 में धुन्ताली वल्द भूरे खां कौ. मेव सा. अकाता अलोटी व गोकुलचन्द अलोटी बशहर नं. 108 दर्ज है व खसरा संख्या 437, 1208, 1209 व 1210 धुन्ताली वगैरह अलोटी के नाम का अंकन है। अपीलार्थी वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सुदृढ दस्तावेजी साक्ष्य यथा संवत् 2020 से पूर्व व पश्चात् के सम्यक् राजस्व अभिलेख, लगान की रसीदे इत्यादि दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाये गये है एवं ना ही खसरा गिरदावरी में वर्णितानुसार उसके पिता के अलोटी होने संबंधी कोई दस्तावेजी पत्रावली पर पेश किये गये है। उल्लेखनीय है कि खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा-13, 15 व 19 में वर्णित प्रावधानों के तहत् ही प्रदान किये जा सकते है, जिसमें अपीलार्थी

वादीगण को अपना वाद पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित कराना आवश्यक एवं आज्ञापक है। अपीलार्थी वादीगण द्वारा ऐसा कोई आधारभूत दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि वह विवादित भूमि पर संवत् 2000 से पूर्व काबित काश्त होकर विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का हकदार हो। जबकि इसके विपरीत हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत एकतरफा मौखिक साक्ष्यों पर आधारित होकर अपीलार्थी वादीगण का विवादित भूमि पर संवत् 2000 से पूर्व काबिज काश्त मानते हुए वाद डिक्री किया है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में भी गवाह डी.ड. 1 हमीदा, डी.ड. 2 लालखां, डी.ड. 3 रिसाल व डी.ड. 4 ईशाक को परीक्षित करवाया गया। उक्त समस्त गवाहान द्वारा विवादित भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती में काश्त किये जाने संबंधी बयान दिये गये है। अपीलार्थी वादीगण द्वारा उक्त गवाहान से प्रति परीक्षण भी किया गया, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्षियों का कोई विवेचन व विनिश्चयन अपने निर्णय में नहीं किया है, जबकि उक्त समस्त गवाहों द्वारा अपीलार्थी वादीगण के कथनों का खण्डन करते हुए विवादित भूमि पर अकेले अपीलार्थी सुबुद्धि द्वारा काश्त किये जाने के तथ्य से इंकारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के आधार पर ही अपीलार्थी वादीगण के पक्ष में घोषणा प्रदान की है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा उक्त कथनों का खण्डन किया गया है। हालांकि प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया, किन्तु प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपीलार्थी वादीगण के कथनों के खण्डन स्वरूप गवाहान पेश कर इनकी साक्ष्य को लेखबद्ध करवा कर अपीलार्थी वादीगण के वादपत्र को कन्टेस्ट किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह वादीगण द्वारा व्याख्यित अभिवचनों का पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण व विवेचना करते हुए अपना निर्णय पारित करते, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की घोर अनदेखी करते हुए पत्रावली पर समुचित दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के उपरांत केवल मात्र कब्जे के आधार पर अपीलार्थी वादीगण के पक्ष में निर्णय दिनांक 26-10-1990 प्रदान करते हुए अपीलार्थी वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-10-1990 पुष्टि किये जाने योग्य नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

7- उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण रसिया वगैरह द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष पेश की गई, जिसमें उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनकर अपील आंशिक स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या-1 से 8) के निहित 1/4 हिस्से तक निरस्त कर पत्रावली पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई। प्रतिप्रेषण निर्णय का मुख्य आधार यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय नहीं दिया गया है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2020-23 के अनुसार खातेदारी अधिकार धारा-19(1) एए के तहत् प्रदान नहीं किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त संवत् 2026 की जमाबंदी पेश नहीं की गई है।

एडवर्स पजेशन के आधार पर सह खातेदारों के विरूद्ध खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। हमारे विनम्र मत में उक्त समस्त विधिक बिन्दु हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई विचार, विवेचन व विश्लेषण निर्णय में नहीं किये गये है। चूंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या–1 से 6 के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थीगण सहित प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या–13 को बतौर प्रत्यर्थीगण पक्षकार बनाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रत्यर्थी संख्या–13 इलियास के हक व अधिकार भी प्रभावित होते है तथा प्रत्यर्थी इलियास के अनुपस्थित होने पर इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वादीगण का यह तर्क कतई माने जाने योग्य नहीं है कि प्रत्यर्थी प्रतिवादी संख्या–7 द्वारा परस्पर राजीनामा कर लिया गया तथा निर्णय व डिक्री के संबंध में उसके द्वारा सहमति व्यक्त की गई, जबकि प्रत्यर्थी संख्या–13 इलियास द्वारा वाद में अपना राजीनामा पेश किया हो तथा निर्णय व डिक्री के संबंध में अपनी कोई सहमति व्यक्त की हो, ऐसे तथ्य पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होते है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या–1 से 8 के हिस्से तक विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर शेष निर्णय को यथावत् रखने में भी गंभीर त्रुटि कारित की है। जब अपीलार्थी वादीगण द्वारा पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अपना दावा साबित नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अंशतः यथावत् बनाये रखा जाना भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रतिप्रेषण आदेश का सारतः अर्थ यही होता है कि जब प्रकरण पुनः विचारण हेतु मामला प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्वतः अपास्त हो जायेंगे तथा वाद में पुनः नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित हो किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी (वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या–1 से 8) की हद तक उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त कर शेष निर्णय को यथावत् रखे जाने में भी गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है, जो निर्णय दिनांक 06–08–2003 भी पुष्टि किये जाने योग्य नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

8– इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–1990 पारित करने में एवं इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वर्तमान प्रत्यर्थीगण रसिया वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपीलांट के 1/4 हिस्से तक निरस्त करने के निर्णय के साथ प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में गंभीर त्रुटि कारित की गई है। अतएव द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–1990 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–08–2003 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, कामां को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिनुसार गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें।

उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/01/2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष